

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंच/नॉनि0), सहारनपुर।

संख्या 18 /जि0नि0का0/पंच0पु0/2020

दिनांक 01 अक्टूबर, 2020

प्रेस नोट

राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ की अधिसूचना-2020302041/रा0नि0 आ0 आनु0-3/पंच0नि0/15-19/2020 दिनांक 15.09.2020 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का वृहद् पुनरीक्षण कराये जाने हेतु समय सारणी की घोषणा की गयी है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विकास खण्डवार बी0एल0ओं एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करते हुये पुनरीक्षण सामग्री का वितरण कराया गया है।

पुनरीक्षण कार्य के अन्तर्गत बी0एल0ओं द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने की अवधि दिनांक 01.10.2020 से 05.11.2020 तक है। उक्त अवधि में बी0एल0ओं सौंपे गये क्षेत्र में मतदाता सूची की आधार प्रति लेकर घर-घर जायेंगे एवं प्रत्येक घर में परिवार के मुखिया अथवा अन्य जिम्मेदार सदस्य से मिलकर निर्वाचक गणना कार्ड (प्ररूप-7) में 01 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके नये सदस्यों के नाम परिवर्धन के रूप में, मृत की इन्द्री गणना कार्ड में करेंगे। गणना कार्ड पर परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान कराकर गणना कार्ड की एक प्रति घर के मुखिया को दी जायेगी।

अपर जिलाधिकारी (प्र0)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण कार्य में लगे बी0एल0ओं एवं पर्यवेक्षकों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुनरीक्षण कार्य मेहनत, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से सम्पन्न कराने के निर्देश दियें। साथ ही यह भी निर्देश दिये कि पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता क्षम्य नहीं होगी एवं संज्ञान में आने पर सम्बन्धित बी0एल0ओं एवं पर्यवेक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(एस0बी0 सिंह)

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(पंचायत),
सहारनपुर।

संख्या 48 /जि0नि0का0/पंच0पु0/बी0एल0ओ0/2020

दिनांक 01 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), सहारनपुर महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद-सहारनपुर।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सहारनपुर को जनपद के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-सहारनपुर को उक्तानुसार अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराये।



(एस0बी0 सिंह)

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(पंचायत),
सहारनपुर।